न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

स्वमेव निगरानी क्रमांक 2126/एक/2015 – विरूद्ध पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5 मार्च 2013 (दो विक्रय पत्र – संपादित व्दारा उप पंजीयक राजनगर)

रूपकिशोर पुत्र अच्छेलाल रैकवार

ग्राम ओटापुरवा तहसील राजनगर

जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– लल्लन ढीमर

2– किशोरीलाल ढीमर

3– पम्मू उर्फ परमलाल ढीमर

पुत्रगण मोतीलाल ढीमा

4– श्रीमती लल्ती उर्फ हलकी वाई

पत्नि स्व.मोतीलाल ढीमर

5– हेमराज पुत्र बारेलाल गड़रिया

6– किशोरी पुत्र दुलारे गड़रिया

सभी ग्राम ओटीपुरवा तहसील राजनगर

7– राजेश – 8– हरिश्चन्द्र पुत्रगण रघुवीर

ब्राहमण ग्राम वमीठा तहसील राजनगर जिला छतरपुर---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 7 –10 –2015 को पारित)

यह स्वमेव निगरानी आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 सहपठित धारा 165 (ग) के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार क्षेत्र बसारी तहसील छतरपुर ने प्रकरण क्रमांक 140 अ -19/1973-74 में पारित आदेश दिनांक 28-9-1974 से 31 भूमिहीनों को ग्राम ओटा पुरवा की शासकीय भूमि का कृषि कार्य हेतु आवन्टन किया। इन आवंटितयों में से अनावेदकगण 1 लगायत 4 ने आवंटन में प्राप्त भूमि को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5 मार्च 2013 से अनावेदक क्रमांक 7 एंव 8 को विक्रय कर दी एंव उप पंजीयक राजनगर ने विक्रय पत्र संपादित कर दिया। इसी प्रकार अनावेदक क्रमांक-5 ने पटटे पर प्राप्त भूमि को अनावेदक क्रमांक 7 एंव 8 को दिनांक 5 मार्च 2013 को विक्रय कर दी एंव उप पंजीयक राजनगर ने विक्रय पत्र संपादित कर दिया। आवेदक ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 धारा 165 (ग) के उल्लॅघन में विक्रय पत्र संपादित होना बताते हुये संहिता की धारा 50 के अंतर्गत यह स्वमेव निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

3/ स्वमेव निगरानी आवेदन की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात है कि उप पंजीयक राजनगर व्दारा दो विक्रय पत्र पत्र दिनांक 5 मार्च 2013 को पंजीयत किये गये हैं जिसके विरूद्व स्वप्रेरणा निगरानी आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जबकि उप पंजीयक व्दारा संपादित किये गये विक्रय विलेख पंजीयन एक्ट के अधीन है जिनके विरूद्व अपील/निगरानी सक्षम न्यायालय में पंजीयन एक्ट के अधीन होगी। जहॉ तक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 सहपठित धारा 165 (ग) के उल्लॅघन में विक्रय पत्र संपादित

होने का प्रश्न है ? इस धारा के अधीन विचारण न्यायालय राजस्व मण्डल नहीं है। किसी भी राजस्व अधिकारी व्दारा पारित अंतरिम आदेश अथवा द्वित्तीय अपीलीय न्यायालय व्दारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी राजस्व मण्डल है, जिसके कारण प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन ग्राह्य-योग्य नहीं होने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर